(Social Justice Management System)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

SJMS

Social Justice Management System

User Manual

For

CM KANYADAN

Version (1.1)

Government of Rajasthan
Social Justice &
Empowerment Department

(Social Justice Management System)

SJMS एक SOCIAL JUSTICE MANAGEMENT SYSTEM

SJMS का परिवर्णी अर्थात संक्षिप्त शब्द है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया से आवेदन को संबंधित करना है। जिसका विकास और डिज़ाइन मुख्य रूप से राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए किया गया है।

SJMS एक वेब आधारित एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म है जो नागरिक और विभाग के कार्यक्षम अधिकारियों को एक मंच पर जोड़ने का काम करती है।

इस ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर का उपयोग विभिन्न योजनाओं को शुरू से अंत तक का प्रबंधन करने के लिए किया जाना है। यह पूर्णतः एक कागजरहित प्रक्रिया है। जिसमें आवेदक को किसी भी कागजी आवेदन को संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

CM कन्यादान स्कीम

योजना के बारे में:

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों,शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों,अन्त्योदय परिवार,आस्था कार्डधारी परिवार,आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं,विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं,पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं तथा स्वयं महिला खिलाडियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।

पात्रता मापदंड:

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं तथा स्वयं महिला खिलाडियों के विवाह हेतु पात्र है।

1.योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।

2.योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।

(Social Justice Management System)

3.योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु।

अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगीः-

1.महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

2.विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।

3.परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।

फ़ायदे:

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000/- हथलेवा राशि एवं यदि कन्या दसवी पास हो तो 10,000/- एवं स्नातक पास कन्या को 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 21,000/-, हथलेवा राशि व दसवीं पास कन्या को 10,000/- एवं स्नातक पास कन्या को 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

आवेदन कैसे करें:

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी (SSO ID) के द्वारा एस.एस.ओ. पोर्टल के माध्यम से (sso.rajasthan.gov.in) आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. आवेदक का जनाधार

2. आवेदक का मूलनिवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता

3. बीपीएल कार्ड अथवा अन्त्योदय प्रमाण पत्र अथवा आस्था कार्ड अथवा

4. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला का पेंशन भुगतान आदेश/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र तथा 25 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क कमाने वाला पुत्र नहीं होने का स्वघोषणा पत्र अथवा

5. विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र अथवा व्यक्ति को 40% अथवा आर्थिक निशक्तता का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र

(Social Justice Management System)

6. पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण पत्र अथवा

7. राज्य स्तर से जारी खिलाडी होने का प्रमाण पत्र। प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र

8. कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र

9. कन्या का जन्म प्रमाण पत्र

10. कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज

11. वर का जन्म प्रमाण पत्र

12. अनाथ बालिका के आवेदन में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र

13. दस्तावेज प्रमाणीकरण के संबंध में स्वघोषणा पत्र

14. दस्तवेजो की सत्यता के सम्बन्ध में पोर्टल पर ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र

15. आवेदक और वर वधू की फोटो

नोटः- क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 8 एवं 9 पर अंकित दस्तावेज आवेदन से पूर्व जनाधार में अपडेट करवाना आवश्यक है तथा शेष दस्तावेजों की मूल प्रति श्रेणीवार अपलोड करना आवश्यक है।

क्र. सं.	पात्रता	हथलेवा राशि	प्रोत्साहन राशि	कुल राशि
1.	अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जन जाति वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	31,000/-	–	31,000/-
		31,000/-	10,000/- (10वीं पास कन्या)	41,000/-
		31,000/-	20,000/- (स्नातक पास कन्या)	51,000/-
2.	शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्थाकार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं एवं स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह पर	21,000/-	–	21,000/-
		21,000/-	10,000/- (10वीं पास कन्या)	31,000/-
		21,000/-	20,000/- (स्नातक पास कन्या)	41,000/-

(Social Justice Management System)

विभागीय वेबसाइट पर छात्रवृत्ति योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1- आधार कार्ड - जनाधार से प्राप्त

2- जनाधार कार्ड - विद्यार्थी द्वारा अंकित

3- मूल निवास प्रमाण पत्र - जनाधार से प्राप्त

4- आय प्रमाण पत्र - जनाधार से प्राप्त

5- जाति प्रमाण पत्र - जनाधार से प्राप्त

6- १०वी की अंकतालिका - डिजीलहकर या ई-वाल्ट द्वारा प्राप्त

7- अंतिम उतीर्ण अंकतालिका - विद्यार्थी द्वारा अपलोड

8- फीस रसीद - विद्यार्थी द्वारा अपलोड

9- बैंक खाता विवरण। - जनाधार से प्राप्त

नोटः-

- अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपने सभी दस्तावेज जनाधार/ई-वाल्ट/डिजीलहकर में अद्यतन कर ले जिससे अनावश्यक विलम्ब/परेशानी न हो।
- अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपने बैंक खाता विवरण की पूर्ण रूप से जांच कर ले जिससे बैंक खाता अक्रियाशील अथवा त्रुटि आदि होने के कारण भुगतान में समस्या उत्पन्न ना हो।

(Social Justice Management System)

SJMS में लॉगिन कैसे करें?

Note –

- सबसे पहले, SJMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  एप्लिकेशन को खोलने के लिए उपयोगकर्ता के एड्रेस बार में https://sso.rajasthan.gov.in/ टाइप करें और Enter बटन दबाएं।
- वहाँ पर, "लॉगिन" या "साइन इन" लिंक का खोज करें।
- अपने यूजरनेम और पासवर्ड को दर्ज करें।
- फिर, "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।

(Social Justice Management System)

आवेदक २ तरह से लॉग इन कर सकते हैं|

1. एसएसओ आईडी से
2. इमित्र लॉग इन से

1. <u>एसएसओ आईडी से लॉग इन की प्रक्रिया</u>

(Social Justice Management System)

(Social Justice Management System)

SJMS SMS के आइकॉन" (icon) पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रीन प्रदर्शित होगी।

(Social Justice Management System)

सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, एक नया नेविगेशन पट्टी पर चार मेनू विकल्प होंगे।

1. Home
2. List of Schemes
3. How to Apply
4. My Profile

होम पर क्लिक करने पर निम्नलिखित मेनू खुलेगा।

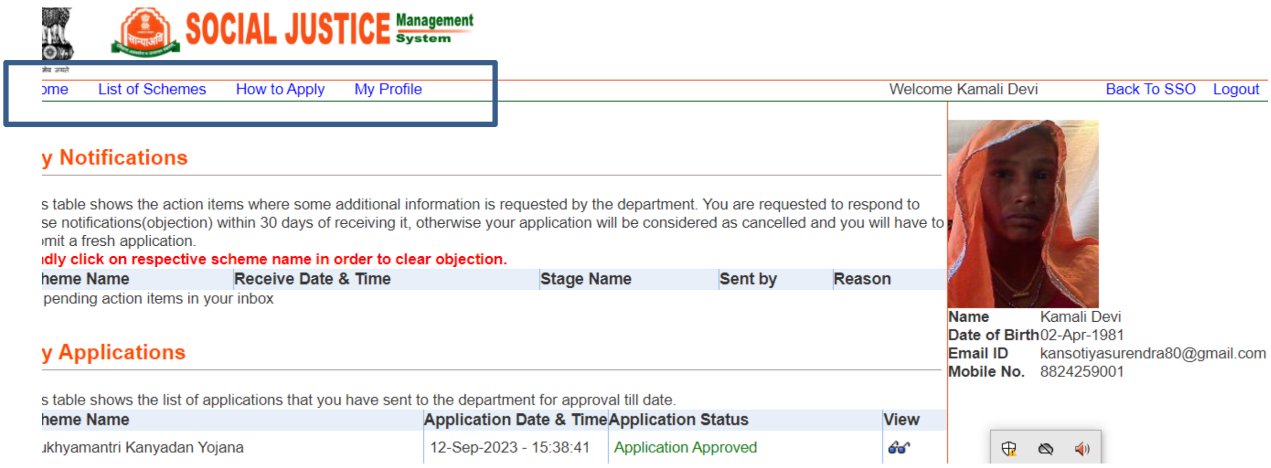

माय प्रोफाइल पर क्लिक करने पर निम्नलिखित पेज खुलेगा

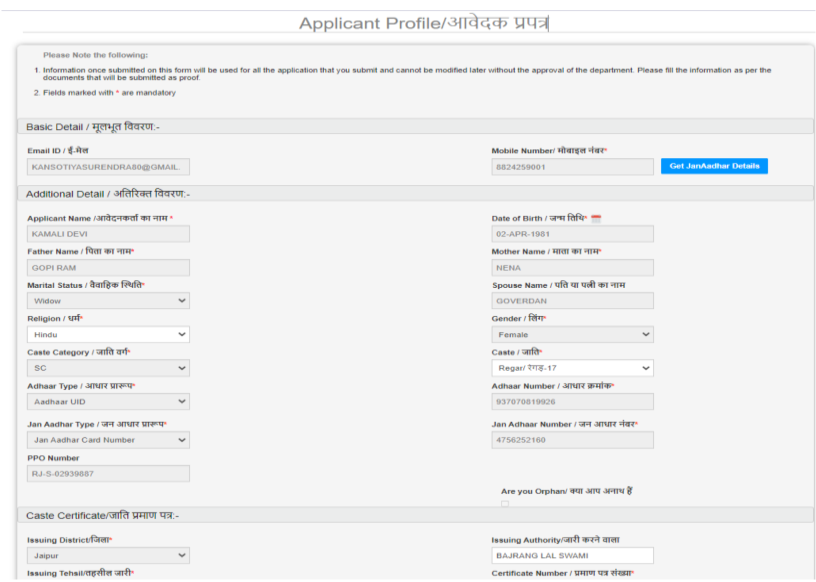

(Social Justice Management System)

Permanent Address/ स्थायी पता:-

	Address Type / पता प्रकार* ◉ Rural / ग्रामीण ○ Urban / शहरी
Plot/House No./ प्लॉट/घर का नंबर:* LUHAKANAKLAN	District/ जिला:* Jaipur
Street/ मार्ग: LUHAKANA KALAN, VIRATNAGAR,	Tehsil / तहसील:* Viratnagar
Town/ नगर:	Village* Luhakana Kalan
Post Office/ डाकघर: LUHAKANA KHURD	PIN Code/ पिन कोड:* 303119
MP Constituency / सांसद का क्षेत्र:* Jaipur(Rural)	MLA Constituency / विधायक का क्षेत्र:* Viratnagar
MP Name / सांसद का नाम:* Rajyavardhan Singh Rathore	MLA Name / विधायक का नाम:* INDRAJ SINGH GURJAR

Present Address/ वर्तमान पता ○ **Same as Permanent Address**

	Address Type / पता प्रकार* ◉ Rural / ग्रामीण ○ Urban / शहरी
Plot/House No./ प्लॉट/घर का नंबर* LUHAKANAKLAN	District / जिला* Jaipur
Street/ मार्ग LUHAKANA KALAN, VIRATNAGAF	Tehsil / तहसील:* Viratnagar
Town/ नगर	Village / ग्राम* Luhakana Kalan
Post Office / डाकघर LUHAKANA KHURD	PIN Code/ पिन कोड* 303119

Bank Detail/ बैंक विवरण

Account Holder Name/ खाता धारक का नाम KAMALI DEVI	IFSC Code/ आई एफ़ एस सी कोड SBIN0031038
Bank Name/ बैंक का नाम STATE BANK OF INDIA	Branch Name/ शाखा VIRATNAGAR, DISTT. JAIPUR - 30:
Account Number/ खाता संख्या 61205422314	Account number confirmation/ खाता संख्या की पुष्टि 61205422314

(Social Justice Management System)

लिस्ट ऑफ़ स्कीम पर क्लिक करने पर निम्नलिखित पेज खुलेगा |

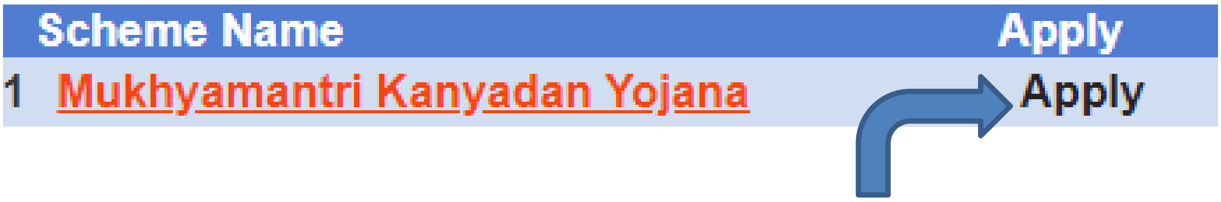

अप्लाई पर क्लिक करने पर व्यू प्रोफाइल पेज प्रदर्शित होगा |

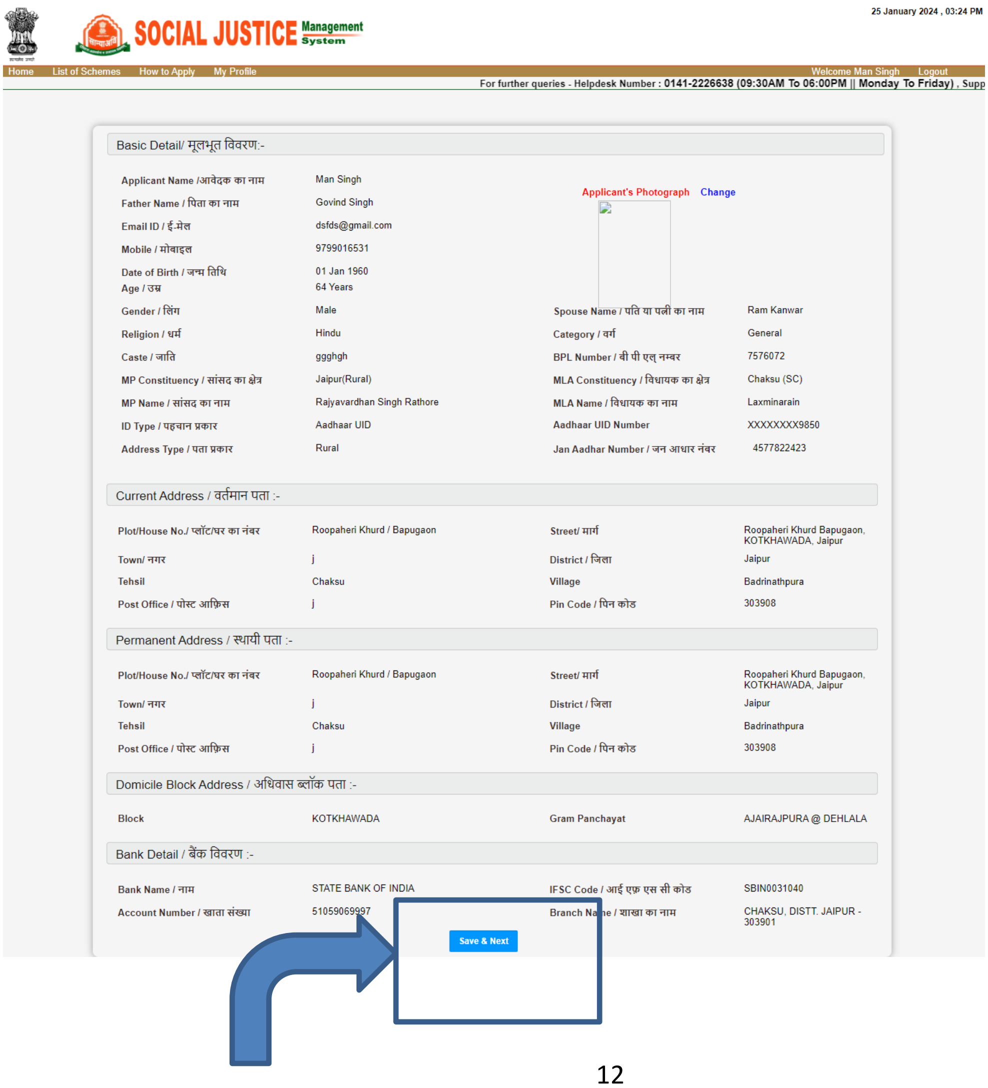

(Social Justice Management System)

Save & Next बटन पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित पेज प्रदर्शित होगा |

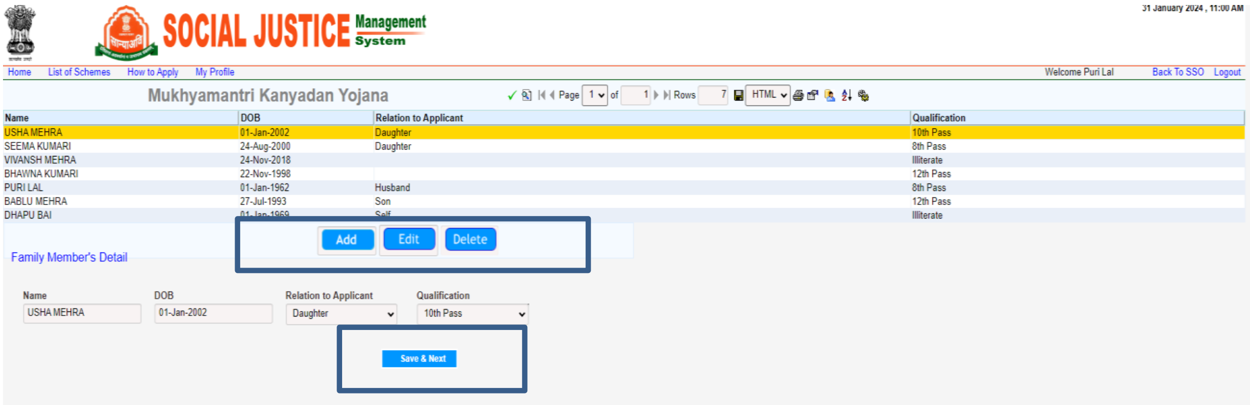

1. Add, Edit and Delete बटन पर क्लिक करके फॅमिली मेम्बेर्स की डिटेल्स को ऐड, एडिट एंड डिलीट कर सकते है|
2. Save बटन पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित पेज प्रदर्शित होगा |

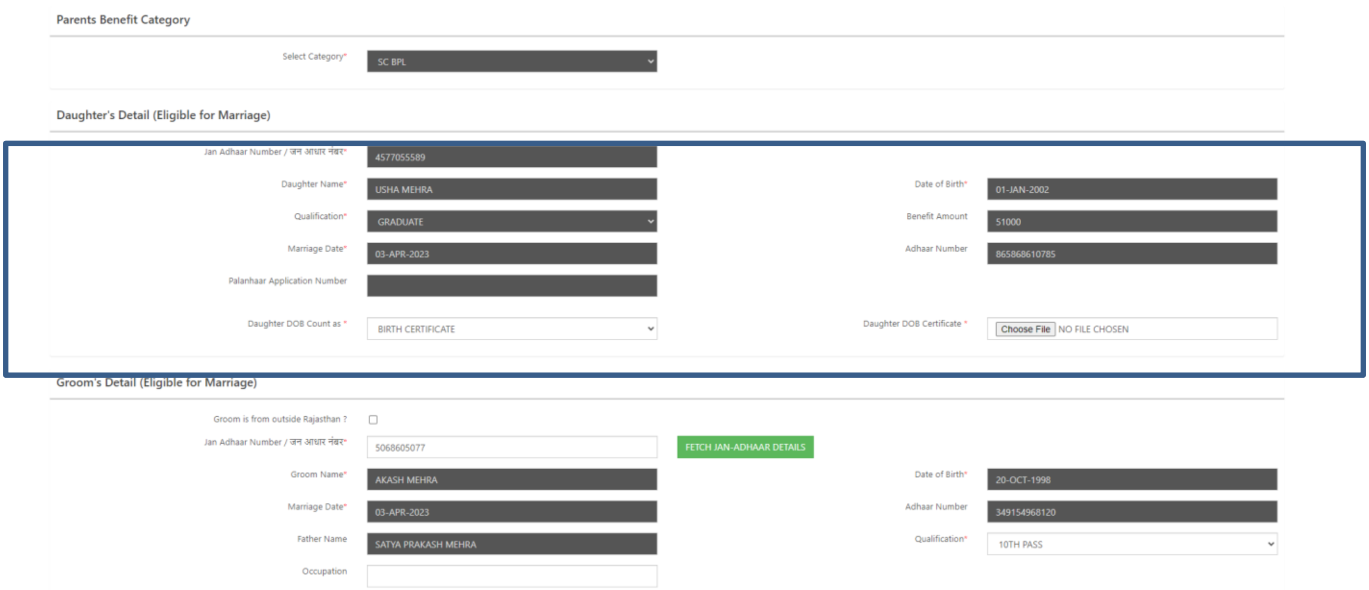

Daughter's Detail (Eligible for marriage) सेक्शन से डॉटर की जन्म प्रमाणपत्र अपलोड कर सकते हैं और दसवी की मार्कशीट को राज इवोल्ट से वेरीफाई कर सकते हैं|

(Social Justice Management System)

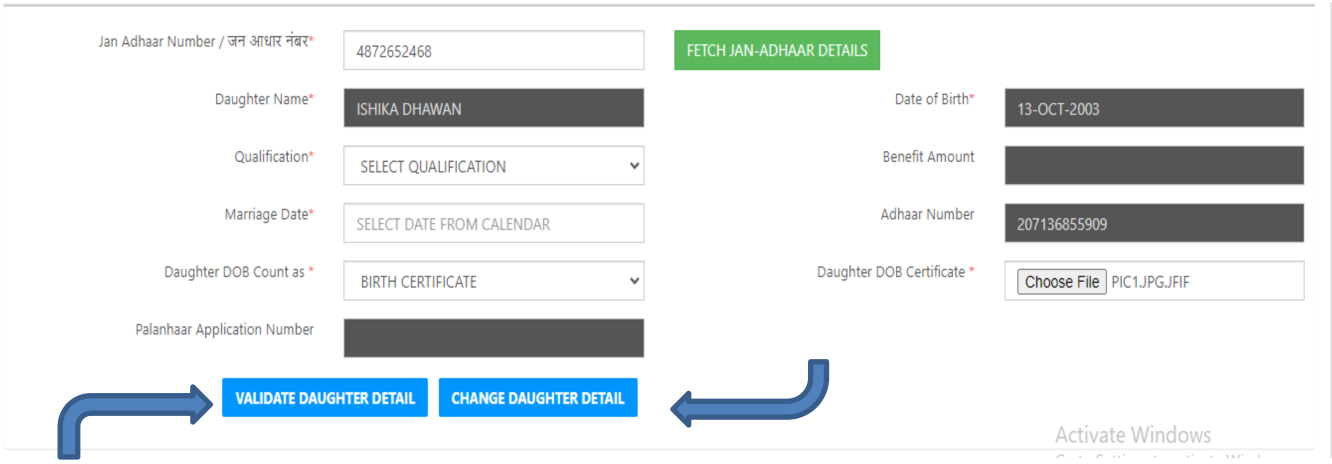

Validate Daughter Detail बटन पर क्लिक करके डॉटर की डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते है |

Change Daughter Detail बटन पर क्लिक करके डॉटर की डिटेल्स को बदल सकते हैं|

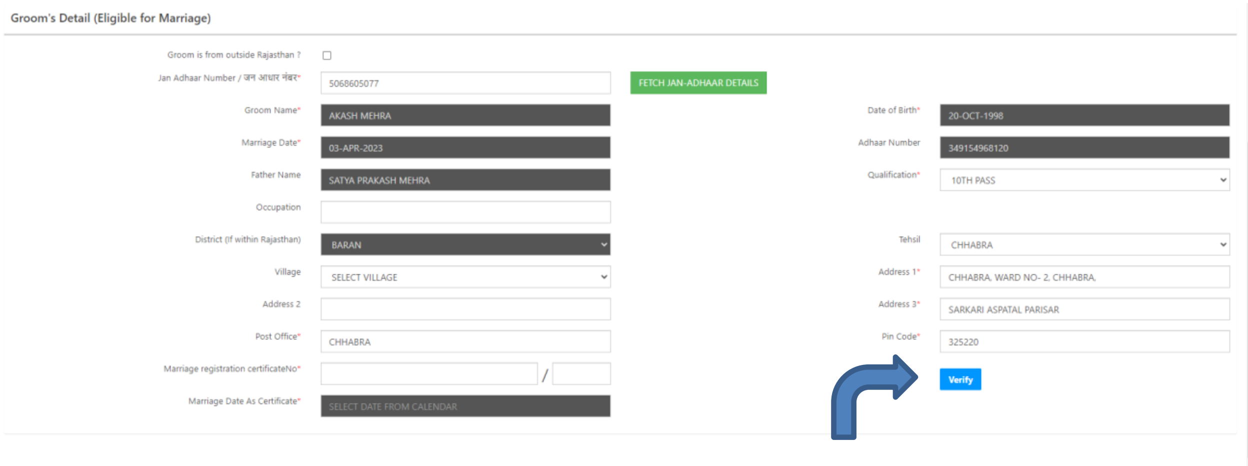

Verify बटन पर क्लिक करके इसी तरह की प्रोसेस से वर की डिटेल्स को भी वेरीफाई कर सकते है |

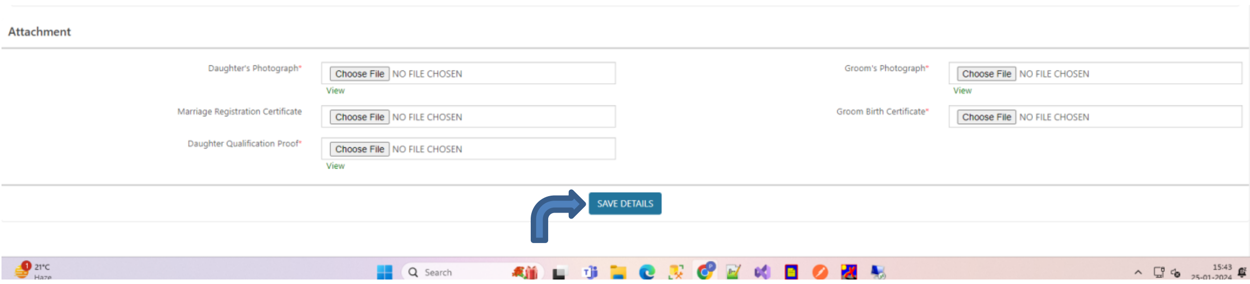

Save बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करने के बाद वर और वधु के जरुरी डाक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद सारी डिटेल्स को सेव कर सकते है|

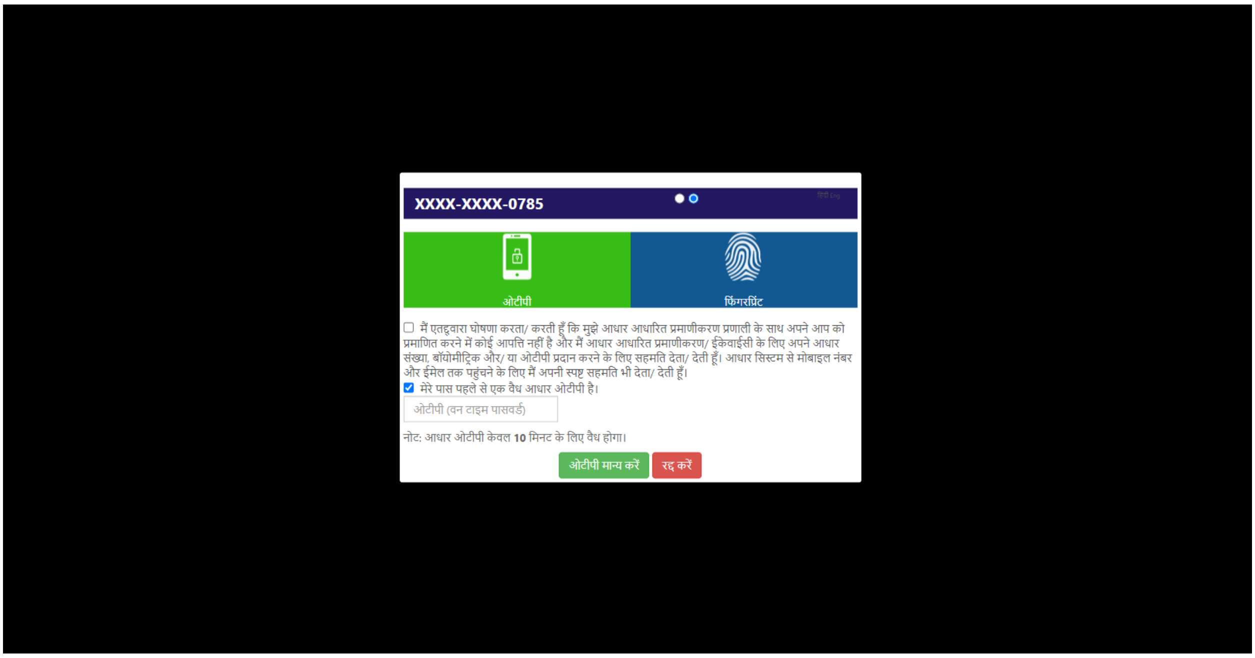

सेव करने से पहले ओटीपी या फिंगरप्रिंट से प्रमाणित करके वेरीफाई कर सकते हैं| वेरीफाई करने के बाद निम्नलिखित पेज प्रदर्शित होगा |

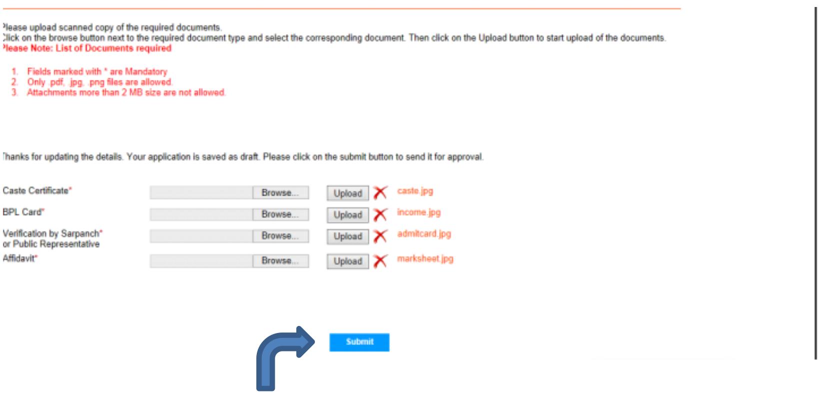

Save बटन पर क्लिक करके डिटेल्स सेव कर ससकते हैं|

(Social Justice Management System)

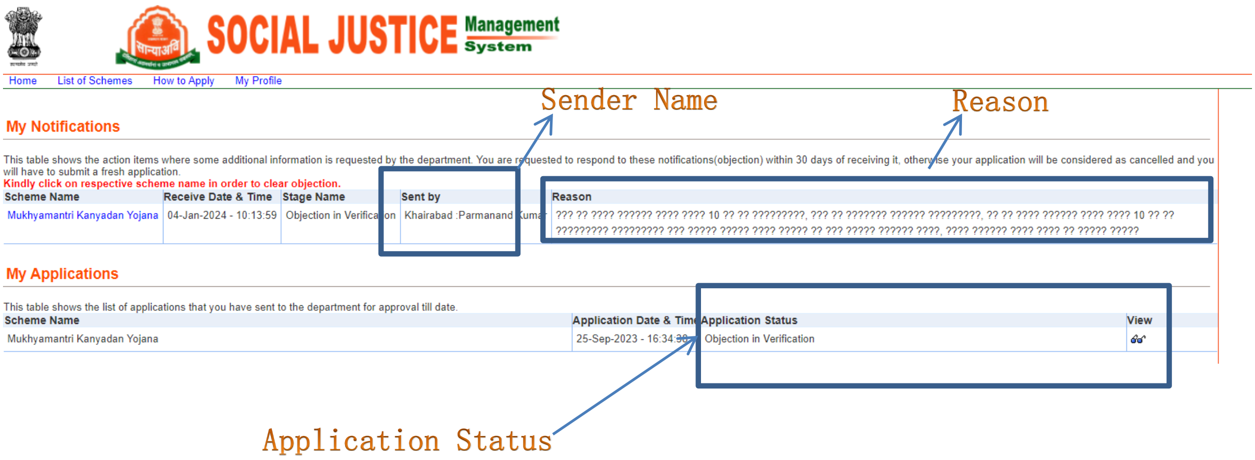

यदि बीलओ ऑब्जेक्शन लगाने के बाद फॉर्म वापस भिजवाता हैं तो वो आवेदक को एप्लीकेशन स्टेटस में दिखाई देता हैं|

आवेदक ऑब्जेक्शन लगाने वाले का नाम , कारण और स्टेटस् देख सकता हैं|

(Social Justice Management System)

2. इमित्र लॉग इन से लॉग इन करने के बाद निम्नलिखित पेज प्रदर्शित होगा |

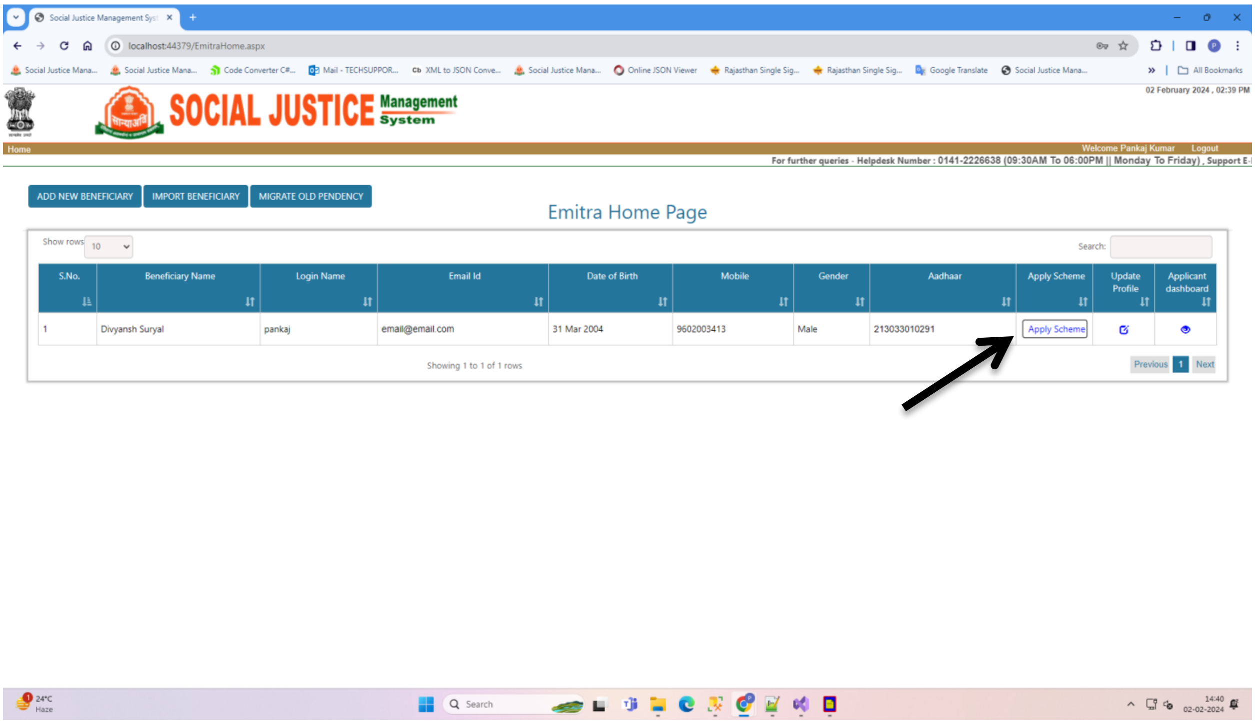

आवेदक अप्लाई स्कीम बटन पर क्लिक करके स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता हैं|

(Social Justice Management System)

अप्लाई स्कीम बटन पर क्लिक करने पर आवेदक इ-मित्र फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त कर सकता हैं|

समाप्त

धन्यवाद्

(Social Justice Management System)